दिल्ली विकास प्राधिकरण
सिरी फोर्ट खेल परिसर
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली

संख्या.एफ.1(289)/एसएफएससी/दि.वि.प्रा./459 दिनांक: 05.07.2022

<u>एनआईपी संख्या 01/एसएफएससी/दि.वि.प्रा./2022-23</u> (पुनः–आमंत्रित)

<u>सिरीफोर्ट खेल परिसर में स्विमिंग की कोचिंग देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करना।</u>

सिरी फोर्ट खेल परिसर, नई दिल्ली में स्विमिंग की कोचिंग देने के लिए ऐसी विशिष्ट/अनुभवी एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें बड़े खेल परिसरों/मनोरंजन क्लबों/जल क्रीडा (अक्वैटिक) सेंटरो/सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे स्विमिंग पूलों, सरकारी संस्थाओं आदि में स्विमिंग कोचिंग देने का पर्याप्त अनुभव है।

सिरी फोर्ट खेल परिसर के स्विमिंग पूल को सदस्यों के प्रयोग के लिए खोलने की संभावना है। इसके लिए सिरी फोर्ट स्पोटर्स कॉम्पलैक्स के स्विमिंग पूल में कोचिंग देने की आवश्यकता होगी।

कोचिंग की विस्तृत शर्तों को नीचे वर्णित किया गया है:-

1. कोचिंग की अवधि घोषित दिनांक से लेकर कलैण्डर वर्ष के अंत तक होगी।
2. कोचिंग देने का अनुभव 3 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। कोचिंग आयोजित किए जाने का प्रमाणपत्र उस संस्था के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए जिस संस्था में इस एजेंसी द्वारा कोचिंग दी गई।
3. उन कोचों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय /राष्ट्रीय/ राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व किया है और जो योग्यता प्राप्त (क्वालिफाइड) स्विमिंग डिसिप्लिन (विशेष शिक्षण) कोच के रूप में योग्यता प्राप्त और प्रमाणीकृत हैं। प्रमाण पत्र इस प्रस्ताव के साथ संलग्न होने चाहिए।
4. कोचिंग आदि देने का समय परिसर की नीति के अनुसार होगा।
5. जिस एजेंसी ने पूल के डेक एरिया के लिए जनशक्ति उपलब्ध कराने का ठेका दिया हो वह एजेंसी कोचिंग उपलब्ध नहीं कराएगी।

6. एक शिफ्ट के प्रत्येक 10 प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक कोच होगा। यदि प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ जाती है या किन्ही अन्य कारणों से यदि परिसर द्वारा अपेक्षित है, तो यह एजेंसी अल्प सूचना पर अतिरिक्त कोचों क व्यवस्था करेगी।
7. एजेंसी द्वारा स्विमिंग की कोचिंग देने के दौरान कोई चोट लगने/मृत्यु होने/अप्रिय घटना होने पर प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8. एजेंसी ऐसे कोच उपलब्ध कराएगी जो स्विमिंग में विशेषज्ञता प्राप्त हैं और जिन्हें इन कोचों को कराए जाने वाले कार्यकलापों की पूर्ण जानकारी हो।
9. कोच का व्यवहार सदस्यों/(प्रतिभागियों) के प्रति विनम्र और शिष्ट होना चाहिए।
10. कोच/एजेंसी, परिसर के सचिव के आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अपने कार्य निष्पादित करेगी। सभी प्रयोजनों के लिए जारी किए गए ऐसे सभी अनुदेशों/आदेशों को एजेंसी के लिए जारी किए गए माना जाएगा।
11. कोच या एजेंसी की ओर से कोई गलती होने पर आयुक्त (खेल) का आदेश इस संबंध में अंतिम होगा और कोच/एजेंसी पर आबद्ध होगा और कोच/एजेंसी द्वारा किसी फोरम के समक्ष प्रतिरोध नहीं किया जाएगा।
12. कोच, परिसर के सचिव द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित वर्दी पहनेगा। बिना वर्दी पहने ड्यूटी पर आए कोच को ड्यूटी से अनुपस्थित समझा जाएगा।
13. सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए कोच या एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए इसी प्रकार के कार्मिक एजेंसी के कर्मचारी होंगे। एजेंसी उक्त कार्मिकों को सभी ग्राह्य और /या अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण, एजेंसी द्वारा उलब्ध कराए गए कार्मिकों के किसी भी प्रकार के दावों के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
14. एजेंसी, प्रत्येक माह की 15 तारीख तक भुगतान के एनईएफटी विवरण प्रस्तुत करेगी कि उस दावे की अवधि के दौरान यथा लागू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा परिचालित दरों के अनुसार कोच को भुगतान किए गए है ।
15. यदि कोचिंग संविदा एजेंसी को प्रदान की जाती है तो एजेंसी ईपीएफओ और ईएसआईसी में पंजीकृत होनी चाहिए। इस संविदा के संबंध में नियोक्ता की ओर से ईएसआई और ई पी एफ अंशदान का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा। संविदाकार द्वारा नियोक्ता की ओर प्रदत्त से किए गए इन अंशदानों की प्रतिपूर्ति, विधिमान्य चालान/भुगतान प्रस्तुत करने पर एजेंसी को की जाएगी। संविदाकार, संबंधित प्राधिकरण को लागू जीएसटी डिपोजिशन (जमा करने) के लिए जिम्मेदार होगा।

16. उस अवधि के दौरान हुई किसी हानि/नुकसान/चोरी के लिए कोच/एजेंसी के कार्यरत कर्मचारी की या एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। एजेंसी कोच को किए जाने वाले सभी भुगतान केवल एन ई एफ टी के माध्यम से किए जाएंगे।

17. सशर्त प्रस्तावों को सरकारी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

18. डाक/कोरियर आदि के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाएगा।

19. विवर्जित एजेंसी /या व्यक्ति को निविदा देने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20. विवर्जित किए गए किसी व्यक्ति को किसी बातचीत (नेगोशिएशन) में भाग लेने या किसी एजेंसी की रिप्रजेंट करने की अनुमति नहीं होगी भले ही उसके पास एजेंसी की और से मुख्तारनामा हो। विवर्जित कोच को नियुक्त करने वाली एजेंसी को भी विवर्जित किया जा सकेगा।

21. प्रस्तावक इसके द्वारा यह अभिस्वीकृति देता है, कि उन्होंने आज तक यथासंशोधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है, लेकिन जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन एवं विलोपन) अधिनियम, 1970, क.भ.नि. स्कीम, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 सहित कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 इत्यादि भी शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं और यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि एक तरफ से निविदादाता/ठेकेदार तथा दूसरी ओर से उनके कर्मचारियों के बीच नियोक्ता, कर्मचारी संबंधों को शासित करने वाले उस समय लागू सभी उपरोक्त संविधियों के सांविधिक उपबंधों तथा दूसरे सभी सांविधियों का अनुपालन करेंगे। अतः इस दस्तावेज से जुड़े दोनों पक्षों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है और यह स्वीकार किया है कि डीडीए उपरोक्त सांविधिक उपब या अन्यथा प्रावधानों के किसी भी स्थिति में अनुपालन न किए जाने के लिए किसी भी रूप में/तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा और निविदाकार/संविदाकार इसके लिए नितांत रूप से उत्तरदायी होंगे और उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों तथा संगत प्रावधानों जो कि निविदाकारों/ठेकेदारों तथा उसके/उनके कर्मचारियों को शासित करते हों, के अनुपालन न किए जाने के सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे तथा इसके लिए डीडीए की कोई बाध्यता नहीं होगी और डीडीए उपरोक्त विधानों या अन्यथा समर्थन के लिए निविदाकर्ताओं/ठेकेदारों के कर्मचारियों के साथ कोई सरोकार नहीं रखेगा।

22. किसी अव्यस्क को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

23. कोचिंग 50:50 प्रतिशत (50% एजेंसी को तथा 50% डीडीए को) राजस्व शेयर करने पर आधिरित होगी। कोचिंग अवधि के दौरान प्रत्येक माह में प्राप्त किए गए शुल्क का क्रमशः

एजेंसी तथा कम्प्लेक्स के बीच बंटवारा किया जाएगा। एजेंसी/कोच का शेयर का भुगतान कोचिंग माह पूरा होने के अंत में मासिक आधार पर किया जाएगा।

24. कोचिंग सुबह 7.00 बजे से 11.00 बजे तथा शाम को 3.00 बजे से 6.00 बजे दी जाएगी और कोचिंग का शुल्क 1130/- रु जीएसटी सहित।
25. इस प्रस्ताव की वैधता सीलबंद प्रस्तावों के खुलने की तारीख से 10 दिन तक है।
26. कोचिंग सप्ताह में 06 दिन दी जाएगी और सोमवार की साप्ताहिक छुट्टी रखी जाएगी।
27. कोचिंग शुल्क डीडीए द्वारा प्रति माह प्रति घंटे के आधार पर निर्धारित दर से लिया जाएगा। कोचिंग का समय डीडीए की कोचिंग नीति के अनुसार होगा।
28. आवेदक को अपनी पासपोर्ट आकार की दो फोटो सहित अपना व्यक्तिगत विवरण, अनुभव तथा उपलब्धि प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
29. संविदा की राशि का भुगतान उपस्थिति रिकार्ड पर आधारित होगा और यह विधिवत सत्यापित होगा। कोच को निर्धारित समय पर उपस्थित रहना होगा और यदि कोच अपने निर्धारित समय पर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं पाया जाता है तो एजेंसी पर 1000/-रु का दंड लगाया जाएगा।
30. एजेंसी को ऊपर कोट की गई शेयर राशि के अलावा कोई और भुगतान नहीं किया जाएगा।
31. एजेंसी के शेयर में से आवश्यक सांविधिक कटौतियां की जाएंगी।
32. अपेक्षित दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत/जमा किए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
33. एजेंसी जीएसटी विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए और इसका प्रमाण, प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा अन्यथा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
34. आयुक्त (खेल) को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए वह पूरे प्रस्ताव को या प्रस्ताव के किसी भाग को अस्वीकार कर दें और उसके संबंध में किसी फोरम, न्यायालय इत्यादि के समक्ष कोई आपत्ति नही की जाएगी।
35. सभी स्टाफ पुलिस सत्यापन के बाद ही नियुक्त किए जाएंगे और जिस एजेंसी को कार्य अवार्ड किया जाएगा वह यह सुनिश्चित करने का वचन देगा कि उसका स्टाफ सभी प्रयोक्ताओं के प्रति शिष्ट व्यवहार करेगा और मर्यादा को बनाए रखेगा तथा स्वीमिंग पूल के संचालन के लिए बने सौहार्दपूर्ण वातावरण को भंग करने वाले किसी कार्यकलाप में शामिल नहीं रहेगा।
36. जब तक कि बायोमैट्रिक सिस्टम में उपस्थिति दर्ज करना शुरू नहीं किया जाता तब तक, कार्यरत कामगारों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एजेंसी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा।
37. कोच के पैनल में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व सचिव का अनुमोदन लेना होगा।

38. नए कोचों को कोचिंग के प्रस्ताव तथा कोचिंग के करार के अनुसार क्यूआर की शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा।

39. उन कोचों, को जिनके नाम पर कोचिंग अकेडमी चल रही है, उन्हें कोचिंग के लिए नियमित रूप से उपलब्ध रहना होगा।

40. ईएसआई तथा ईपीएफ के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए:-

i. ईएसआई/ईपीएफ का भुगतान अनिवार्य है।

ii. दूसरी जमाओं के अतिरिक्त, संविदाकार को ईएसआई/ईपीएफ अंशदानों के लिए बैंक गारण्टी देनी होगी। बैंक गारण्टी की राशि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि उसमें से कम से कम 03 महीने की अवधि की ईएसआई/ईपीएफ अंशदान का भुगतान पूरा हो सके।

iii. तथापि, बैंक गारण्टी संबंधित प्राधिकारियों को ईएसआई/ईपीएफ के अंशदान का भुगतान करने के विधिवत सत्यापन तथा कार्य के संतोषजनक ढ़ंग से पूरा होने के एक माह बाद लौटाई जाएगी।

iv. यदि ईएसआई/ईपीएफ विभाग द्वारा आवश्यक ईएसआई/ईपीएफ का भुगतान न करने की वजह से जुर्माना लगाया जाता है तो इसके लिए एजेंसी स्वंय पूर्णतः जुर्माना राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी और इसके लिए एजेंसी द्वारा निविदा के साथ 50 % रु के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

v. ईएसआई/ईपीएफ के संबंध में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकेगा और आर/ए बिल अथवा बैंक गारंटी से,जैसा भी मामला हो, समायोजित किया जाएगा।

vi. संविदाकार प्रति माह ईएसआई/ईपीएफ अंशदान का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसकी निगरानी दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी।

vii. यदि एजेंसी संबंधित विभाग को अपेक्षित अंशदान नहीं करती, तो आयुक्त (खेल) द्वारा तय की गई उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है।

41. <u>समान स्वामित्व/साझेदारों के संबंध में:</u> कोई भी फर्म, उद्यम, एक ही मालिक, भागीदार या महत्वपूर्ण शेयरधारक/प्रवर्तक वाले उद्यमों का संघ अनुचित लाभ प्राप्त करने और भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के इरादे से निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, सीवीसी दिशानिर्देशों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है और किसी भी उल्लंघन को अवैध माना जाएगा। ऐसी निविदा बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ऐसी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी जो उचित समझी जाएंगी।

42. जब कभी भी आवश्यक हो तो आयकर, जीएसटी के अनुसार आवश्यक कटौती की जाएगी।

प्रस्ताव प्राप्ति की अंतिम तिथि- 25.07.2022 है। प्रस्तावों को www.dda.org.in पर अपलोड किया जाए।

<u>आयुक्त (खेल)</u>

तकनीकी बोली: कोचिंग संविदा प्रदान करने हेतु मूल्यांकन पत्र

क्र.सं.	मानदंड	स्कोरिंग गाइड	अंक/भारांक (वेटेज)	प्रदान किए गए अंक		
				कोच सं 1 नाम	कोच सं 2 नाम	कोच सं 3 नाम
1.	अनुभव वर्षों में	(2 वर्ष हेतु शून्य, 3 वर्ष हेतु 5 और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष हेतु 1 वर्ष, अधिकतम 15 तक)				
2.	एनआईएस योग्यता प्राप्त/फेडरेशन द्वारा अनुमोदित प्रमाण पत्र	केवल एक को प्रदान किया जाएगा				
3.	अन्य समतुल्य योग्यता	केवल एक को प्रदान किया जाएगा				
4.	तैराक/कोच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव					
5.	तैराक/कोच के रूप में राष्ट्रीय स्तर का अनुभव					
6.	तैराक/कोच के रूप में राज्य स्तर का अनुभव					
7.	आवेदक स्वंय कोच होगा					

8.	दि.वि.प्रा./सरकारी एजेंसी से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र	प्रत्येक वर्ष हेतु 5 अंक, अधिकतम 20 अंक				
9.	मान्यता प्राप्त स्कूल/ जलीय(एक्वेटिक) केंद्रों आदि से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र	प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक, अधिकतम 18 अंक				
	कुल					

100 में से कुल अंक

1. तकनीकी बोलियों के खुलने के समय मूल प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति जिसे रिकार्ड हेतु जमा किया जाना है के साथ सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. इस निविदा में शामिल विभिन्न कार्यकलापों हेतु प्रत्येक खेल परिसर के लिए तकनीकी बोली हेतु कट ऑफ अंक, उस श्रेणी में प्राप्त उच्चतम अंकों के नब्बे प्रतिशत तक होगा जिसे निम्नतम मूल्य तक पूर्णांकित(राउंड ऑफ) किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि उच्चतम स्कोर 81 है तो उच्चतम स्कोर का नब्बे प्रतिशत 72.9 अंक होगा, जो न्यूनतम मूल्य के कट ऑफ तक राउंड ऑफ करने के बाद 72 अंक है। इस मामले में सभी 72 अंक और उससे अधिक स्कोर करने वाले बोलीदाता तकनीकी बोली में अर्हक होंगे। प्रत्येक मामले में कट ऑफ अंक प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों के अनुसार अलग-अलग होंगे।